

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 16.04.2021

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान

विषय :- Covid-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण आईटम Oxygen Concentrator, Medical Oxygen Cylinder एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिलों द्वारा बढ़ते हुये कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों के क्रय की आवश्यकता बतायी गई है। उक्त क्रम में अवगत करवाया गया है कि आरएमएससीएल में आईटम Oxygen Concentrator की दर संविदा उपलब्ध नहीं हैं एवं आईटम Medical Oxygen Cylinder की दर संविदा विद्यमान है, वर्तमान में संपूर्ण देश में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर दर संविदाकृत फर्म द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर की आपूर्ति मांग अनुसार समयाबद्ध करवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (उक्त दर संविदा अन्तर्गत आपूर्ति अवधि 60 दिवस है।) दर संविदा में अनुमोदित दरें निम्नानुसार है:-

S. No.	Name of Firm	Name of Item	Rates
1	M/s Gupta Industrial Gases Pvt Ltd. Hisar	Medical Oxygen Cylinder- B-Type (Manganese Steel)	₹5,300.00 + 18% GST
2	Mob. No. 09996322100/09996330100	Medical Oxygen Cylinder- D-Type Big Size (Manganese Steel)	₹10,390 + 18% GST

कोविड-19 में आपातकालीन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने हेतु Oxygen Concentrator, Medical Oxygen Cylinder एवं इससे संबंधित अन्य उपकरणों का क्रय RTPP Act एवं Rules की पालना करते हुए GeM Portal अथवा किसी भी अन्य स्रोत के माध्यम से स्वयं के स्तर से क्रय की कार्यवाही की जा सकती है।



(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चि0 एवं स्वा0 राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर
6. मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव